मेघालय राज्य

बनाम

मेल्विन सोहलांगपियाव

(वर्ष 2018 की विशेष अनुमति अपील (दाण्डिक) संख्या 1218)

11 फरवरी, 2020

(माननीय न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतनगौड़र तथा माननीय न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी)

"भारत का संविधानः छठी अनुसूची, कंडिका 4 एवं 5 — उत्तरदाता, जो खासी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, उस पर ऐसे पीड़ित-मृतक की हत्या का आरोप था जो स्वयं भी खासी अनुसूचित जनजाति का सदस्य था — उत्तरदाता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया तथा वाद को सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में विचारण हेतु दौरा-सुपुर्द किया गया — उत्तरदाता ने वाद को खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया — उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन स्वीकार कर लिया — फलतः यह विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की गई — प्रश्न यह है कि क्या संविधान की छठी अनुसूची की कंडिका 4 एवं 5 की योजना एवं भाषा के आलोक में उत्तरदाता के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण का विचारण विशेष रूप से जिला परिषद न्यायालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है — अभिनिर्धारितः संविधान की छठी अनुसूची की कंडिका 4(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त खासी-जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला (न्याय प्रशासन) नियम, 1953 अंगीकृत किए गए — नियम 9 के अंतर्गत खासी हिल्स स्वायत्त जिला के लिए एक जिला परिषद न्यायालय के गठन तथा उसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया —

उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 9 एवं छठी अनुसूची की कंडिका 5(1) के अंतर्गत दिनांक 07.02.2017 को एक अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसके द्वारा मेघालय के राज्यपाल ने शिलांग स्थित जिला परिषद न्यायालय में एक अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की तथा उसे भारतीय दंड संहिता अथवा खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद में लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत मृत्युदंड, आजीवन निर्वासन या पाँच वर्ष से कम नहीं की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों के विचारण हेतु अधिकार प्रदान किए — कंडिका 5(1) के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद, अथवा उनके द्वारा स्थापित न्यायालयों अथवा नियुक्त अधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता अथवा दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपयुक्त शक्तियाँ प्रदान करे, ताकि कुछ वादों, प्रकरणों एवं अपराधों का विचारण किया जा सके — दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्तियों का प्रदाय, जैसा कि दिनांक 07.02.2017 की अधिसूचना द्वारा किया गया, यह स्पष्ट करता है कि जिला परिषद न्यायालय को आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, भले ही ऐसे मामलों में राज्य विधिक रूप से शिकायतकर्ता हो और उसे जनजातीय पक्षकार न माना जाए — यह निर्विवाद है कि पीड़ित तथा उत्तरदाता-अभियुक्त दोनों खासी अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं — छठी अनुसूची की कंडिका 4 एवं 5 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि ऐसे प्रकरणों की सुनवाई का विशिष्ट अधिकार क्षेत्र जिला परिषद न्यायालय को प्राप्त है — उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाता-अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण को सत्र न्यायालय से स्वायत्त जिला परिषद न्यायालय में स्थानांतरित करना विधिसम्मत था — स्थानांतरित न्यायालय, अर्थात् जिला परिषद न्यायालय को विधि के अनुसार विचारण की कार्यवाही आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया — संयुक्त खासी-जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला (न्याय प्रशासन) नियम, 1953 — नियम 9 — दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 — भारतीय दंड संहिता, 1860 — धारा 302, 201।”

विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय नें

अभिनिर्धारित किया : 1.1 जिस सत्र न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता का विचारण चल रहा था, वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित एवं संचालित न्यायालय है। उल्लेखनीय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 की उपधारा (2) यह प्रावधान करती है कि यह संहिता जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है। साथ ही, यह राज्य सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह जनजातीय क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का विस्तार कर सके। धारा 1 में प्रयुक्त "जनजातीय क्षेत्र" अभिव्यक्ति का आशय संविधान की पाँचवीं एवं छठी अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों से है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता के विस्तार के संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने के अभाव में, अध्याय VIII, X एवं XI को छोड़कर, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान मेघालय राज्य के जनजातीय क्षेत्रों, जिसमें खासी हिल्स जिला भी सम्मिलित है, पर लागू नहीं होते। सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XVIII के अंतर्गत आता है, जो संबंधित जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। (कंडिका 6) [508-डी-ई; 509-बी-डी]

1.2 संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत, कंडिका 2 में उल्लिखित स्वायत्त जिलों एवं स्वायत्त क्षेत्रों में न्याय प्रशासन से संबंधित प्रावधान कंडिका 4 एवं 5 में निहित हैं। कंडिका 4(1) के अंतर्गत, जिला परिषद अथवा क्षेत्रीय परिषद को, जैसा कि प्रकरण हो, ऐसे न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जो उन वादों एवं प्रकरणों का विशेष रूप से विचारण करेंगे, जिनमें सभी पक्षकार उन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों। हालाँकि, यह प्रावधान उन वादों एवं प्रकरणों पर लागू नहीं होता जो छठी अनुसूची के कंडिका 5(1) के अंतर्गत आते हैं, जहाँ राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह जिला परिषद अथवा क्षेत्रीय परिषद, अथवा जिला परिषद द्वारा स्थापित न्यायालयों, अथवा इस हेतु राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता अथवा दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ऐसे अधिकार प्रदान कर सके, जिन्हें वह उपयुक्त समझे। इसके

अतिरिक्त, कंडिका 4(4) यह उपबंध करता है कि जिला परिषद द्वारा स्थापित न्यायालय, जिला परिषद अथवा क्षेत्रीय परिषद द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार विकसित प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करेंगे। वर्तमान प्रकरण में, संविधान की छठी अनुसूची के कंडिका 4(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त खासी-जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला (न्याय प्रशासन) नियम, 1953 अंगीकृत किए गए। नियम 9 तथा छठी अनुसूची के कंडिका 5(1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 07.02.2017 को एक अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसके द्वारा मेघालय के राज्यपाल ने जिला परिषद न्यायालय, शिलांग में एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की तथा उसे भारतीय दंड संहिता अथवा खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद में लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत मृत्युदंड, आजीवन कारावास या पाँच वर्ष से कम नहीं की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों के विचारण हेतु अधिकार प्रदान किए। (कंडिका 7 से 10) [509-इ-एच; 510-ए-सी]

2.1 छठी अनुसूची का कंडिका 4 ऐसे *वादों एवं प्रकरणों के विचारण का प्रावधान करता है, जिनमें सभी पक्षकार अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों,* और ऐसे मामलों के संबंध में राज्य के अन्य किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अपवर्जित करता है। यद्यपि *'वाद' एवं 'प्रकरण'* शब्दों की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366, दंड प्रक्रिया संहिता अथवा दीवानी प्रक्रिया संहिता में नहीं दी गई है, तथापि समय के साथ विकसित सामान्य विधिक व्यवहार में 'वाद' शब्द का प्रयोग विशुद्ध रूप से दीवानी प्रकृति की कार्यवाहियों के लिए किया जाता है, जबकि 'प्रकरण' शब्द का प्रयोग दीवानी वाद अथवा आपराधिक कार्यवाही दोनों के लिए किया जाता है। कंडिका 4 स्वयं उन वादों एवं प्रकरणों का उल्लेख करता है जिन पर कंडिका 5(1) के प्रावधान लागू होते हैं। (कंडिका 9.1, 9.2) [510-ई, जी]

2.2 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्तियों का प्रदाय, जैसा कि दिनांक 07.02.2017 की अधिसूचना द्वारा किया गया है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जिला परिषद न्यायालय

को आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, भले ही ऐसे प्रकरणों में राज्य विधिक रूप से शिकायतकर्ता हो और उसे जनजातीय पक्षकार नहीं माना जा सके। वास्तव में, यह छठी अनुसूची के कंडिका 4 में प्रयुक्त 'प्रकरण' शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान करने की मंशा को परिलक्षित करता है। 'प्रकरण' शब्द की ऐसी व्याख्या इस तथ्य से भी पुष्ट होती है कि कंडिका 5 केवल राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह उन प्रकरणों में, जिनमें भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पाँच वर्ष से कम नहीं की सजा का प्रावधान है, दंड प्रक्रिया संहिता को लागू करे। आवश्यक परिणामस्वरूप, राज्यपाल को कंडिका 5(1) में उल्लिखित किसी भी निकाय को ऐसे अपराधों के संबंध में, जिनकी सजा पाँच वर्ष से कम है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्तियाँ प्रदान करने का अधिकार नहीं है। कंडिका 5 को कंडिका 4 के साथ पढ़ने पर यह निष्कर्ष अनिवार्य रूप से निकलता है कि ऐसे सभी आपराधिक प्रकरण, जिनमें अभियुक्त तथा पीड़ित दोनों एक ही अनुसूचित जनजाति से संबंधित हों, कंडिका 4 के अंतर्गत स्थापित न्यायालयों द्वारा विचारणीय होंगे, चाहे विधिक रूप से शिकायतकर्ता राज्य ही क्यों न हो। अतः 'प्रकरण' शब्द केवल इस आधार पर आपराधिक प्रकरणों को अपवर्जित नहीं करता कि राज्य भी उसमें एक पक्षकार है। छठी अनुसूची के कंडिका 4 एवं 5 के सम्यक् पठन से यह स्पष्ट होता है कि "ऐसे वाद एवं प्रकरण जिनमें सभी पक्षकार अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों" का आशय वस्तुतः प्रभावित पक्ष (पीड़ित/शिकायतकर्ता) तथा अभियुक्त पक्ष से है। यह निर्विवाद है कि वर्तमान प्रकरण में पीड़ित तथा उत्तरदाता-अभियुक्त दोनों खासी अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। अतः, दिनांक 07.02.2017 की अधिसूचना द्वारा जिला परिषद न्यायालय को कुछ आपराधिक अपराधों के विचारण हेतु दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, उन्हें प्रभावी किया जाना चाहिए। वास्तव में, कंडिका 4 एवं 5 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि ऐसे प्रकरणों की सुनवाई का विशिष्ट अधिकार क्षेत्र जिला परिषद न्यायालय को प्राप्त है। उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाता-अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण को सत्र न्यायालय से स्वायत्त जिला परिषद न्यायालय में

स्थानांतरित करना विधिसंगत था। स्थानांतरित न्यायालय, अर्थात् जिला परिषद न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह विधि के अनुसार आरोप निर्धारण के पश्चात विचारण की कार्यवाही आगे बढ़ाए। (कंडिका 9.3 से 9.6, 10) [511-बी-एच; 512-ए-सी]

लोंगसन खोंगनगेन बनाम मेघालय राज्य, **(2012) 1 गुवाहाटी विधि रिपोर्ट 812-संदर्भित**

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः 2018 की विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) संख्या 1218।

2017 की स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) संख्या 4 में मेघालय उच्च न्यायालय, शिलांग के दिनांकित 05.12.2017 के निर्णय और आदेश से।

याचिकाकर्ता के लिए : रंजन मुखर्जी, उपेंद्र मिश्रा, अविजीत मणि त्रिपाठी, के. वी. खारलिंगदोह, टी. के. नायक, पी. एस. नेगी, सुश्री श्रुति राम (कोचर), चेतन जोशी, अधिवक्ता।

उत्तरदाता के लिएः सुश्री लिज़ मैथ्यू, नवनीत आर., सुश्री सोनाली जैन, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

मोहन एम. शांतनागौदर, न्यायमूर्ति.

1. वर्तमान प्रकरण में उत्तरदाता, जो खासी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए पश्चिम खासी हिल्स जिला के नोंगस्टोइन स्थित सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचारणाधीन था। संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 26.03.2017 को नोंडेन नदी के तट पर एक शव पड़ा हुआ पाया गया, जिसके संबंध में नोंगस्टोइन थाना प्रभारी (शिकायतकर्ता) को सूचना दी गई और उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधान के दौरान मृत व्यक्ति की

पहचान स्थापित हुई, जो स्वयं भी खासी अनुसूचित जनजाति का सदस्य पाया गया। मृतका के शरीर से प्राप्त सिम कार्ड के माध्यम से उसके द्वारा किए गए अंतिम कॉल्स का पता लगाया गया, जो वर्तमान उत्तरदाता (अभियुक्त) से जुड़े पाए गए। परिणामस्वरूप, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसने स्वेच्छा से पुलिस को उस स्थान तक ले जाकर दिखाया, जहाँ उसने शव को दफनाया था। दिनांक 31.08.2017 को उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के अंतर्गत आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 08.11.2017 को यह वाद विचारण हेतु सत्र न्यायाधीश, नोंगस्टोइन, पश्चिम खासी हिल्स जिला के न्यायालय को सुपुर्द किया गया तथा अभियुक्त को उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए तलब किया गया।

तथापि, इस आधार पर कि वर्तमान प्रकरण के दोनों पक्षकार जनजातीय हैं और अतः यह वाद विशेष रूप से जिला परिषद न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अभियुक्त ने उक्त वाद को खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद, शिलांग के न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 05.12.2017 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, मेघालय उच्च न्यायालय, शिलांग ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरुद्ध ही यह विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की गई है।

2. प्रारंभ में ही यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जिस क्षेत्र में कथित अपराध घटित होने का आरोप है, अर्थात् पश्चिम खासी हिल्स जिला, वह एक अधिसूचित स्वायत्त जिला है, जिसे भारत के संविधान की छठी अनुसूची के कंडिका 20 के साथ संलग्न सारणी में सम्मिलित किया गया है। उक्त अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। विशेष रूप से, ऐसे क्षेत्रों में न्यायिक व्यवस्था से संबंधित प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची के कंडिका 4 एवं 5 के अंतर्गत विनियमित किए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं:

4. **स्वायत्त जिलों एवं स्वायत्त क्षेत्रों में न्याय का प्रशासन** — (1) किसी स्वायत्त क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषद, उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में, तथा किसी स्वायत्त जिले के लिए जिला परिषद, उस जिले के अंतर्गत आने वाले उन क्षेत्रों के संबंध में जो यदि हों तो उस जिले के भीतर क्षेत्रीय परिषदों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, ऐसे ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर सकती है, जो उन वादों एवं प्रकरणों का विचारण करेंगे, जिनमें सभी पक्षकार उन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों, सिवाय उन वादों एवं प्रकरणों के जिन पर इस अनुसूची के कंडिका 5 के उपबंध (1) के प्रावधान लागू होते हैं, और यह अधिकार राज्य के किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अपवर्जित करेगा; तथा ऐसे ग्राम परिषदों के सदस्यों या ऐसे न्यायालयों के अध्यक्ष अधिकारियों के रूप में उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है और इस अनुसूची के कंडिका 3 के अंतर्गत बनाए गए विधानों के प्रशासन हेतु आवश्यक अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकती है...

...(4) क्षेत्रीय परिषद या जिला परिषद, जैसा कि प्रकरण हो, राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विषयों को विनियमित करने हेतु नियम बना सकती है— (क) ग्राम परिषदों एवं न्यायालयों की संरचना तथा इस कंडिका के अंतर्गत उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकार;

(ख) इस कंडिका के उपबंध (1) के अंतर्गत वादों एवं प्रकरणों के विचारण में ग्राम परिषदों या न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) इस कंडिका के उपबंध (2) के अंतर्गत अपीलों एवं अन्य कार्यवाहियों में क्षेत्रीय या जिला परिषद अथवा उसके द्वारा स्थापित किसी न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) ऐसे परिषदों एवं न्यायालयों के निर्णयों एवं आदेशों का प्रवर्तन; (ङ) इस कंडिका के उपबंध (1) एवं (2) के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु अन्य सहायक विषय।

5. दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अंतर्गत शक्तियों का क्षेत्रीय एवं जिला परिषदों तथा कुछ न्यायालयों एवं अधिकारियों को प्रदाय— (1) राज्यपाल, किसी स्वायत्त जिले या क्षेत्र में प्रवर्तित किसी विधि से उत्पन्न वादों या प्रकरणों के विचारण हेतु, जो इस उद्देश्य के लिए राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट की गई हो, अथवा ऐसे अपराधों के विचारण हेतु जो भारतीय दंड संहिता या उस जिले या क्षेत्र में लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत मृत्युदंड, आजीवन निर्वासन या पाँच वर्ष से कम नहीं की अवधि के कारावास से दंडनीय हों, संबंधित जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद या उस जिला परिषद द्वारा स्थापित न्यायालयों अथवा इस उद्देश्य हेतु राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 या, जैसा कि प्रकरण हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अंतर्गत ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकता है, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, और तत्पश्चात उक्त परिषद, न्यायालय या अधिकारी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन वादों, प्रकरणों या अपराधों का विचारण करेगा।

(उल्लेख विशेष)

3. इन प्रावधानों पर आधारित होकर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि संविधान की छठी अनुसूची के कंडिका 4 के अंतर्गत, किसी वाद या प्रकरण के सभी पक्षकारों का उन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना आवश्यक है, तभी जिला परिषद न्यायालय को ऐसे वादों या प्रकरणों पर विशिष्ट अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि चूँकि आपराधिक प्रकरण सदैव राज्य द्वारा अभियोजित किया जाता है, अतः उत्तरदाता के विरुद्ध वर्तमान प्रकरण को दो जनजातीय व्यक्तियों के बीच विवाद नहीं माना जा

सकता, क्योंकि मृतक न तो पक्षकार है और न ही उसे पक्षकार माना जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शिकायतकर्ता, अर्थात् थाना प्रभारी, को भी इस प्रकरण का पक्षकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह अपने आधिकारिक दायित्व का निर्वहन कर रहा था और इस प्रकार वह राज्य तंत्र का हिस्सा है।

4. इसके विपरीत, उत्तरदाता-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर बल दिया कि संविधान की छठी अनुसूची के कंडिका 4 एवं 5 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय क्षेत्रों में विवादों के निपटारे हेतु एक विशेष व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसे प्रभावी किया जाना आवश्यक है। जब राज्यपाल कंडिका 5(1) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद द्वारा स्थापित न्यायालयों को कुछ प्रकार के अपराधों के विचारण का अधिकार प्रदान करता है, तब ऐसे न्यायालयों को विशिष्ट अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है। इस संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 07.02.2017 की अधिसूचना की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसके द्वारा मेघालय के राज्यपाल ने शिलांग स्थित अतिरिक्त जिला परिषद न्यायालय के न्यायाधीश को भारतीय दंड संहिता अथवा खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद में लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत मृत्युदंड, आजीवन निर्वासन अथवा पाँच वर्ष से कम नहीं की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों के विचारण हेतु अधिकार प्रदान किए। उक्त तथ्यों के आलोक में यह प्रस्तुत किया गया कि उत्तरदाता के विरुद्ध प्रकरण पर विशिष्ट अधिकार क्षेत्र जिला परिषद न्यायालय का ही है। इस संबंध में मेघालय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय ***लॉन्गसन खोंगनगैन बनाम मेघालय राज्य, (2012) 1 गौहाटी लॉ रिपोर्ट्स 812*** *पर* भी अवलंबन किया गया।

5. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के पश्चात, हमारे विचारार्थ जो मुख्य प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या संविधान की छठी अनुसूची की कंडिका 4 एवं 5 की योजना एवं भाषा के आलोक में उत्तरदाता के विरुद्ध

आपराधिक प्रकरण का विचारण विशेष रूप से जिला परिषद न्यायालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है।"

6. छठी अनुसूची के प्रावधानों में प्रवेश करने से पूर्व यह उल्लेखनीय है कि जिस सत्र न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता का विचारण चल रहा था, वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित एवं संचालित न्यायालय है। उल्लेखनीय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 की उपधारा (2) यह प्रावधान करती है कि यह संहिता जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है। साथ ही, यह राज्य सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह जनजातीय क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का विस्तार कर सके, जो इस प्रकार है:"

" खंड 1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ।

(1) इस अधिनियम को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 कहा जाएगा।

(2) यह संपूर्ण भारत में लागू होगा,

परंतु इस संहिता के प्रावधान, अध्याय VIII, X तथा XI से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर—

(क) नागालैंड राज्य पर,

(ख) जनजातीय क्षेत्रों पर,

लागू नहीं होंगे;

तथापि संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संहिता के ऐसे प्रावधानों या उनमें से किसी को नागालैंड राज्य के संपूर्ण या किसी भाग पर अथवा ऐसे जनजातीय क्षेत्रों पर, जैसा भी प्रकरण हो, अधिसूचना में निर्दिष्ट पूरक, आकस्मिक अथवा परिणामी संशोधनों के साथ लागू कर सकती है।

स्पष्टीकरण.— इस धारा में 'जनजातीय क्षेत्र' से अभिप्राय उन क्षेत्रों से है जो 21 जनवरी 1972 से ठीक पूर्व असम के जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित थे, जैसा कि संविधान की छठी अनुसूची की कंडिका 20 में उल्लिखित है, सिवाय उन क्षेत्रों के जो शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर आते हैं।

जैसा कि ऊपर देखा गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 में प्रयुक्त 'जनजातीय क्षेत्र' अभिव्यक्ति संविधान की पाँचवीं एवं छठी अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों की ओर संकेत करती है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विस्तार हेतु अधिसूचना जारी किए जाने के अभाव में, उपर्युक्त तीन अध्यायों को छोड़कर, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान मेघालय राज्य के जनजातीय क्षेत्रों, जिसमें खासी हिल्स जिला भी सम्मिलित है, पर लागू नहीं होते।

यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 8 शांति बनाए रखने एवं सदाचार के लिए सुरक्षा से संबंधित है, अध्याय 10 लोक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने से संबंधित है तथा अध्याय 11 पुलिस द्वारा निवारक कार्यवाही से संबंधित है। स्पष्टतः, अध्याय 8, 10 एवं 11 के अंतर्गत आने वाले विषय इस वाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 18 के अंतर्गत आता है, जो संबंधित जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है।

7. संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत, कंडिका 4 एवं 5 स्वायत्त जिलों एवं स्वायत्त क्षेत्रों में न्याय प्रशासन से संबंधित हैं, जिनका उल्लेख छठी अनुसूची की कंडिका 2 में किया गया है। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, कंडिका 4(1) जिला परिषद अथवा क्षेत्रीय परिषद को, जैसा भी प्रकरण हो, ऐसे न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करती है, जो उन वादों एवं प्रकरणों का *विशेष रूप से* विचारण करेंगे, जिनमें सभी पक्षकार उन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों। हालाँकि, यह प्रावधान उन वादों एवं प्रकरणों पर लागू

नहीं होता जो छठी अनुसूची की कंडिका 5(1) के अंतर्गत आते हैं, जहाँ राज्यपाल जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद, अथवा जिला परिषद द्वारा स्थापित न्यायालयों, अथवा इस हेतु नियुक्त किसी अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता अथवा दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकता है, जिन्हें वह उपयुक्त समझे। इसके अतिरिक्त, कंडिका 4(4) यह उपबंध करती है कि जिला परिषद द्वारा स्थापित न्यायालय, जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विकसित प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करेंगे।

8. वर्तमान प्रकरण में, संविधान की छठी अनुसूची की कंडिका 4(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त खासी-जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला (न्याय प्रशासन) नियम, 1953 अंगीकृत किए गए। नियम 9 के अंतर्गत खासी हिल्स स्वायत्त जिला के लिए एक जिला परिषद न्यायालय के गठन तथा उसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 9 एवं छठी अनुसूची की कंडिका 5(1) के अंतर्गत दिनांक 07.02.2017 को एक अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसके द्वारा मेघालय के राज्यपाल ने शिलांग स्थित जिला परिषद न्यायालय में एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की तथा उसे भारतीय दंड संहिता अथवा खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद में लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत मृत्युदंड, आजीवन निर्वासन या पाँच वर्ष से कम नहीं की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों के विचारण हेतु अधिकार प्रदान किए।

9. जिला परिषद न्यायालय, शिलांग को इस प्रकार शक्तियों के विशिष्ट प्रदाय के आलोक में, विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उत्तरदाता के विरुद्ध प्रकरण के विचारण का अधिकार क्षेत्र केवल जिला परिषद न्यायालय के पास ही निहित है।

9.1 जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, छठी अनुसूची की कंडिका 4 उन *'वादों एवं प्रकरणों के विचारण'* *का प्रावधान करती है, जिनमें सभी पक्षकार अनुसूचित जनजाति के*

सदस्य हों, और इस संबंध में राज्य के अन्य किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अपवर्जित करती है। यद्यपि *'वाद' एवं 'प्रकरण'* शब्दों की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366, दंड प्रक्रिया संहिता अथवा दीवानी प्रक्रिया संहिता में नहीं दी गई है, तथापि सामान्य विधिक व्यवहार में 'वाद' शब्द का प्रयोग विशुद्ध रूप से दीवानी कार्यवाहियों के लिए तथा 'प्रकरण' शब्द का प्रयोग दीवानी वाद अथवा आपराधिक कार्यवाही दोनों के लिए किया जाता है।

9.2 इस परिप्रेक्ष्य में, जब हम याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए इस तर्क पर विचार करते हैं कि कंडिका 4 में प्रयुक्त 'प्रकरण' शब्द आपराधिक प्रकरणों को अपवर्जित करता है, केवल इस आधार पर कि ऐसे सभी मामलों में राज्य विधिक रूप से शिकायतकर्ता होता है, तो यह व्याख्या इस निष्कर्ष की ओर संकेत करती है कि कंडिका 4 जिला परिषद न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरणों के विचारण को बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं करती। तथापि, यह व्याख्या छठी अनुसूची की योजना से समर्थित नहीं है, विशेषतः जब कंडिका 4 एवं 5 का संयुक्त पठन किया जाता है। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, कंडिका 4 स्वयं उन वादों एवं प्रकरणों का उल्लेख करती है जिन पर कंडिका 5(1) के प्रावधान लागू होते हैं। अतः कंडिका 4 के अंतर्गत 'वादों एवं प्रकरणों' की विषयवस्तु को समझने के लिए कंडिका 5(1) की विषयवस्तु का अवलोकन आवश्यक है।

9.3 कंडिका 5(1) के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद, अथवा जिला परिषद द्वारा स्थापित न्यायालयों अथवा इस उद्देश्य हेतु नियुक्त किसी अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता अथवा दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ऐसी शक्तियाँ प्रदान करे, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, ताकि कुछ वादों, प्रकरणों एवं अपराधों का विचारण किया जा सके। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्तियों का प्रदाय, जैसा कि दिनांक 07.02.2017 की अधिसूचना द्वारा किया गया है, यह स्पष्ट करता है कि जिला

परिषद न्यायालय को आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, भले ही ऐसे मामलों में राज्य विधिक रूप से शिकायतकर्ता हो और उसे जनजातीय पक्षकार न माना जाए। यह कंडिका 4 में प्रयुक्त 'प्रकरण' शब्द को व्यापक अर्थ देने की मंशा को भी दर्शाता है।

9.4 'प्रकरण' शब्द की ऐसी व्याख्या इस तथ्य से भी पुष्ट होती है कि कंडिका 5 केवल राज्यपाल को उन मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता को लागू करने का अधिकार देती है, जिनमें भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पाँच वर्ष से कम नहीं की सजा का प्रावधान है। आवश्यक परिणामस्वरूप, राज्यपाल को उन अपराधों के संबंध में, जिनकी सजा पाँच वर्ष से कम है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्तियाँ प्रदान करने का अधिकार नहीं है। कंडिका 5 को कंडिका 4 के साथ पढ़ने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे सभी आपराधिक प्रकरण, जिनमें अभियुक्त एवं पीड़ित दोनों एक ही अनुसूचित जनजाति से संबंधित हों, कंडिका 4 के अंतर्गत स्थापित न्यायालयों द्वारा विचारणीय होंगे, चाहे विधिक रूप से शिकायतकर्ता राज्य ही क्यों न हो।

9.5 अतः, हमारे विचार में 'प्रकरण' शब्द केवल इस आधार पर आपराधिक प्रकरणों को अपवर्जित नहीं करता कि राज्य भी उनमें एक पक्षकार है। छठी अनुसूची की कंडिका 4 एवं 5 के सूक्ष्म पठन से यह स्पष्ट होता है कि *'ऐसे वाद एवं प्रकरण जिनमें सभी पक्षकार अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों'* का आशय वास्तव में प्रभावित पक्ष (पीड़ित/परिवादी) तथा अभियुक्त पक्ष से है।

9.6 वर्तमान प्रकरण में यह निर्विवाद है कि पीड़ित तथा उत्तरदाता-अभियुक्त दोनों खासी अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। अतः, दिनांक 07.02.2017 की विशिष्ट अधिसूचना द्वारा जिला परिषद न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कुछ आपराधिक अपराधों के विचारण हेतु जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, उन्हें प्रभावी किया जाना चाहिए। वस्तुतः, छठी

अनुसूची की कंडिका 4 एवं 5 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि ऐसे प्रकरणों की सुनवाई का विशिष्ट अधिकार क्षेत्र जिला परिषद न्यायालय को प्राप्त है।

10. उपर्युक्त विचारों के आलोक में, हम यह पाते हैं कि मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2017 को पारित निर्णय एवं आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाता-अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, नोंगस्टोइन, पश्चिम खासी हिल्स जिला के न्यायालय से खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद, शिलांग के न्यायालय में स्थानांतरित करना विधिसम्मत था।

जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, दिनांक 08.11.2017 को अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण सत्र न्यायाधीश, नोंगस्टोइन, पश्चिम खासी हिल्स जिला के न्यायालय में विचारण हेतु दौरा-सुपुर्द किया गया था तथा उसे उपस्थित होने के लिए तलब किया गया था। अतः अब हम स्थानांतरित न्यायालय, अर्थात् जिला परिषद न्यायालय को निर्देशित करते हैं कि यदि अभियुक्त ने अब तक उपस्थिति दर्ज नहीं की है, तो उसे पुनः समन जारी किया जाए तथा विधि के अनुसार आरोप निर्धारण के पश्चात विचारण की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। इसके अतिरिक्त, यह देखते हुए कि संबंधित घटना मार्च, 2017 में घटित हुई थी, जिला परिषद न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह विचारण को यथाशीघ्र पूर्ण कर, इस आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर वाद का निर्णय गुण-दोष के आधार पर कर दे। उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह विशेष अनुमति याचिका निस्तारित की जाती है

देविका गुजराल   विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण कर दिया गया।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक,

कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।